तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल0आर0/2124/2003/जयपुर राजस्थान सरकार बनाम श्यामलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>
श्री चिरंजीलाल दायमा ,सदस्य

उपस्थित :–
श्री आर.पी.शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 4.2.19

हस्तगत रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, (प्रथम) जयपुर द्वारा अपनी अभिशंसा आदेश दिनांक 28–2–2003 से राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमिधारी तहसीलदार बस्सी ने अतिरिक्त कलक्टर, (प्रथम)जयपुर के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खतौनी एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2019 के अनुसार ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी में स्थित आराजी खसरा नंबर 618 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा माफी मंदिर श्री वृन्दावन बिहारीजी वाके देह अहतमाम पुजारी विश्वेसर पुत्र गणेश जाति0 ब्राह्मण सा0 बांसखोह की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त पुजारी दर्ज था । जमाबंदी संवत 2022–25 में बिना किसी सक्षम आदेश के मंदिर का नाम विलोपित कर जरिए विरासत के नामान्तरकरण संख्या 217 से खातेदारी अप्रार्थी श्यामलाल पुत्र विश्वेसर के नाम दर्ज कर दी । वर्तमान जमाबन्दी संवत 2051 से 2054 में खसरा नंबर 618 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी श्यामलाल पुत्र विश्वेसर कौम ब्राह्मण सादेह खातेदार का नाम दर्ज है । भगवान की मूर्ति शाश्वत अवयस्क है जिसके अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नहीं किए जा सकते । इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का हस्तांतरण अन्तर्गत धारा 46, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के विपरीत होने के कारण शून्य एवं अप्रभावी है। अतः विवादग्रस्त भूमि पूर्व अनुसार पुनः माफी मन्दिर श्री वृन्दावन बिहारी जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल0आर0/2124/2003/जयपुर राजस्थान सरकार बनाम श्यामलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने रेफरेंस का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है । मंदिर की भूमि पर किसी भी काश्त करने वाले व्यक्ति को कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । चूंकि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । अतः ऐसा हस्तातंरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत होने से गैर कानूनी है । अतः रेफरेंस को स्वीकार कर भूमि पुनः माफी मंदिर के नाम दर्ज की जावे । हमने उप राज0अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2019 के अनुसार ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी में स्थित आराजी खसरा नंबर 618 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा माफी मंदिर श्री वृन्दावन बिहारीजी वाके देह अहतमाम पुजारी विश्वेसर पुत्र गणेश जाति0 ब्राह्मण सा0 बांसखोह की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त दर्ज था । जमाबंदी संवत 2022–25 में बिना किसी सक्षम आदेश के मंदिर का नाम विलोपित कर जरिए विरासत के नामान्तरकरण संख्या 217 से खातेदारी अप्रार्थी श्यामलाल पुत्र विश्वेसर के नाम दर्ज कर दी । वर्तमान जमाबन्दी संवत 2051 से 2054 में खसरा नंबर 618 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी श्यामलाल पुत्र विश्वेसर कौम ब्राह्मण सादेह खातेदार का नाम दर्ज है ।भगवान की मूर्ति शाश्वत अवयस्क है जिसके अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नहीं किए जा सकते । इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने कालान्तर में मंदिर की भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिना किसी विधिक अधिकार एवं प्रक्रिया के अपने नाम करवा लिया । इस प्रकार उक्त कार्यवाही नियम विरुद्ध होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ‘अधिनियम 1955’ की धारा 45 (4) व धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है और प्रारम्भ से ही शून्य है। राजस्व मण्डल द्वारा अनेक विनिश्चयों में मूर्ति मन्दिर को एक शाश्वत नाबालिग माना गया है। मन्दिर की भूमि पर सदैव मूर्ति मन्दिर का ही कब्जा माना जावेगा। इस प्रकार विवादित भूमि जो मंदिर की है, के बाबत रेकार्ड में जो रद्दोबदल हुआ है, वह बिना किसी सक्षम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल0आर0/2124/2003/जयपुर राजस्थान सरकार बनाम श्यामलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश के हुआ है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है । यदि पुजारी द्वारा राजस्व रेकार्ड में मन्दिर का नाम हटवा कर भूमि अपने नाम करवा ली गई हो, तो भी उसका यह कृत्य माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णयों में पारित विनिश्चय के अनुसार प्रभावशून्य है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का निर्णय1994 आर.आर.डी. पृष्ठ 1 ''रामप्रताप व अन्य बनाम राजस्व मण्डल'', आर.आर.डी. 1987 पृष्ठ 261 पर माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ एवं ए.आई.आर.2008(एनओसी) 2850 (राज.) एवं ए.आई.आर. 2007(एनओसी) 1742 (राज) मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से यही विधिक स्थिति पुष्ट होती है। ऐसी स्थिति में पुजारी/अथवा काश्तकार को मन्दिर की भूमि पर स्वयं को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं न ही वह बेचान कर सकता है। मन्दिर की भूमि पर कोई भी मूर्ति की ओर से काश्त करे सदैव कब्जा मूर्ति मन्दिर का ही माना जावेगा जो शाश्वत नाबालिग है। इस प्रकार विवादित भूमि जो मंदिर की है, के बाबत रेकार्ड में जो रद्दोबदल हुआ है, वह बिना किसी सक्षम आदेश के हुआ है जो विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में यह रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी जयपुर की आराजी खसरा नंबर 618 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा माफी मंदिर श्री वृन्दावन बिहारीजी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में जहां–जहां भी अप्रार्थीगण के नाम का अंकन है उसे खातेदारी से हटाया जावे । इस बाबत खोले गये नामान्तरकरण संख्या 217 भी निरस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री वृन्दावन बिहारी जी के नाम दर्ज की जावे ।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर, बाद आवश्यक कार्यवाही, अभिलेखागार में भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य